कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद झॉसी।

संख्या–228/अधि0/स0सु0/2020 दिनांकः जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

जंहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झॉसी जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा				
			टू व्हीलर (कि0मी0/घण्टा)	थ्री व्हीलर (कि0मी0/घण्टा)	चालक को छोड़कर 8 सीटों तक वाले यात्रीयान (कि0मी0/घण्टा)	चालक को छोड़कर 9 अथवा अधिक सीटों तक वाले यात्रीयान (प्रवर्ग M2, M3यान) (कि0मी0/घण्टा)	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5,6 एवं 7 को छोड़ कर (प्रवर्ग N वर्ग यान) (कि0मी0/घण्टा)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झॉसी–ललितपुर–सागर NH-44	झॉसी से झररघाट	70	40	90	80	70
2	झॉसी–कानपुर NH-27	झॉसी से चिरगांव–पूंछ	70	40	90	80	70
3	झॉसी–शिवपुरी NH-76	झॉसी से सिकन्दरा–जोहरिया	70	40	90	80	70
4	झॉसी–ग्वालियर NH-75	झॉसी से चिरूला बार्डर	70	40	90	80	70

5	झॉसी–इलाहाबाद NH-76	झॉसी से देवरी बांध	60	40	70	70	60
6	हमीरपुर–राठ–गुरसरांय–चिरगांव मार्ग SH-42	कचीर (हमीरपुर बार्डर मोती कटरा के पास) से ककरबई, गरौठा, गुरसरांय, रामनगरघाट चिरगांव	60	40	70	70	60
7	चिरगांव–ग्वालियर SH-45	चिरगांव से शाहपुर	60	40	70	70	60
8	दबोह–पूंछ–गुरसरांय–टीकमगढ़ मार्ग SH-131	समथर, मोंठ, पूंछ गुरसरांय, मऊरानीपुर	60	40	70	70	60
9	मऊरानीपुर–गरौठा (अन्य जिला मार्ग)	मऊरानीपुर से गरौठा	50	30	60	60	50
10	मऊरानीपुर–कोंच (अन्य जिला मार्ग)	मऊरानीपुर–रेवन–गुरसरांय–कोटराघाट	50	30	60	60	50
11	बड़ागांव–भस्नेह (PMGSY)	बड़ागांव–टहरौली–भस्नेह	50	30	60	60	50
12	गुरसरांय–मोंठ (अन्य जिला मार्ग)	गुरसरांय से मोंठ	50	30	60	60	50
13	शाहपुर–मोंठ (अन्य जिला मार्ग)	शाहपुर–खिरियाघाट –मोंठ	50	30	60	60	50
14	गुरसरांय से पूंछ (अन्य जिला मार्ग)	गुरसरांय से पठा –पूंछ	50	30	60	60	50
15	गुरसरांय–पूंछ (अन्य जिला मार्ग)	गुरसरांय से गढ़बई–बामौर–पूंछ	50	30	60	60	50
16	टहरौली से कटेरा (अन्य जिला मार्ग)	टहरौली–उल्दन–बंगरा– कटेरा–पड़रा	50	30	60	60	50
17	टहरौली से मोंठ (अन्य जिला मार्ग)	टहरौली से बघेरा–शमशेरपुरा–मोंठ	50	30	60	60	50
18	बरूआसागर–टहरौली (अन्य जिला मार्ग)	बरूआसागर से घुघुवां–धमना–टहरौली	50	30	60	60	50
19	मोंठ–समथर–इंदरगढ़ (अन्य जिला मार्ग)	मोंठ से समथर, बहादुरपुर	50	30	60	60	50
20	मोंठ–कोंच (अन्य जिला मार्ग)	मोंठ से समथर, करइ	50	30	60	60	50
21	झॉसी–खनियाधाना (अन्य जिला मार्ग)	झॉसी से बडोरा, बसई	50	30	60	60	50
22	एरच–ककरबई (अन्य जिला मार्ग)	एरच–गुरसरांय–गरौठा–ककरबई	50	30	60	60	50

23	टहरौली से मऊरानीपुर वाया टोडीफतेहपुर (अन्य जिला मार्ग)	टहरौली,टोडीफतेहपुर वाया बिजना, पण्डवाहा	50	30	60	60	50
24	दिगारा से भगवंतपुरा बाईपास मार्ग (ODR)	दिगारा से भगवंतपुरा बाईपास मार्ग	50	30	60	60	50
25	रक्सा–करारी मार्ग (ODR)	रक्सा–करारी मार्ग	50	30	60	60	50
26	हंसारी–बैदौरा सं0 मार्ग (ODR)	हंसारी–बैदौरा सं0 मार्ग	50	30	60	60	50
27	बबीना–घिसौली वाया हीरापुरा–बुडपुरा सं0 मार्ग (ODR)	बबीना से घिसौली वाया हीरापुरा–बुडपुरा	50	30	60	60	50
28	बबीना–टूंका सं0 मार्ग (ODR)	बबीना–टूंका सं0 मार्ग	50	30	60	60	50
29	रक्सा–टूंका सं0 मार्ग (ODR)	रक्सा–टूंका सं0 मार्ग	50	30	60	60	50
30	झॉसी–मवई वाया बिरगुवां	झॉसी–मवई वाया बिरगुवां	50	30	60	60	50
31	छुगारा–अमनपुरा	छुगारा–अमनपुरा	50	30	60	60	50
32	पिपरीकला–बुडेराघाट वाया समथर	पिपरीकला–बुडेराघाट वाया समथर	50	30	60	60	50
33	एरच–बेंदा वाया पुराडेरका	एरच–बेंदा वाया पुराडेरका	50	30	60	60	50
34	बबीना–जल निगम मोड़ से सुकवॉ वाया लहर–ठकुरपुरा	बबीना–जल निगम मोड़ से सुकवॉ वाया लहर–ठकुरपुरा	50	30	60	60	50
35	सिकन्दरा–समथर वाया चिरगांव–पहाड़पुरा	सिकन्दरा–समथर वाया चिरगांव–पहाड़पुरा	50	30	60	60	50
36	टहरौली–एरच वाया बेंदा, पुराडेरका	टहरौली–एरच वाया बेंदा, पुराडेरका	50	30	60	60	50
37	मऊरानीपुर–टकटौली वाया चुरारा	मऊरानीपुर–टकटौली वाया चुरारा	50	30	60	60	50

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन

चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस ।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक– 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार,
सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद झॉसी।

पृ0सं0– /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3– जिलाधिकारी, झॉसी।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झॉसी।
5– अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), उ0प्र0।
6– उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), आगरा।
7– संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), झॉसी।
8– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड /निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, झॉसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त मार्गों पर साईनेज एवं स्पीड लिमिट बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।
10–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण झॉसी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त मार्गों पर साईनेज एवं स्पीड लिमिट बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।
11–सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), झॉसी/यात्रीकर अधिकारी, झॉसी।
12–जिला सूचना अधिकारी झॉसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद झॉसी।